

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशोंक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/544 /2025, लखनऊ दिनांक-मार्च 26 .2025

संशोधित आदेश

मुख्यालय के आदेश सं0 179/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा जनपद लखनऊ में दिनांक 24.03.2025 से 28.03.2025 तक अधोहस्तक्षरी के साथ सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ की खण्ड पीठ गठित थी। अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 25.03.2025 से 28.03.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के स्थान पर न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ को युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-26.03.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी
मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।